HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 6705/2017

United India Insurance Company Ltd. Through Its Manager, Regional Office, Sahara Chamber, Tonk Road, Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Shriram Jat S/o Shri Kaluram Jat, Aged about 44 Years, R/o Kanwarpura, Tehsil Shrimadhopur, Distt. Sikar Raj.
2. Bhairuram S/o Shri Hanumanram, Aged about 51 Years, R/o Nahron Ki Dhani Rayal, Tehsil Shrimadhopur, Distt. Sikar Raj.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sandeep Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	None Present.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

अपीलार्थी–बीमा कंपनी की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, **जयपुर जिला II जयपुर** द्वारा प्रकरण ECCNF-460/2011 में पारित निर्णय दिनांक **05.10.2017** से व्यथित होकर पेश की है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/दावेदार श्रीराम जाट के पक्ष में कुल **2,17,644/–** रूपये प्रतिकर 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कंपनी का निवेदन है कि अपीलार्थी की ओर से मात्र ट्रेक्टर चालक की जोखिम के संबंध में ही प्रीमियम लिया गया था जबकि आहत श्रीराम जाट तत्समय ट्रेक्टर से जुडी थ्रेसर पर कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, अतः बीमा कंपनी का कोई दायित्व प्रतिकर

राशि में नहीं है। यह भी निवेदन किया कि घटना दिनांक 09.03.2011 की है जिसके संबंध में रोजनामचा रिपोर्ट 06.06.2011 को मिथ्या आधारों पर दर्ज करवायी गयी है, लेकिन इन सब तथ्यों को नजर अन्दाज कर तथ्यों व विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा भैरूराम/प्रत्यर्थी संख्या–2 के ट्रेक्टर के संबंध में प्रदर्श–6 बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ट्रेक्टर पर कार्यरत कर्मचारी की जोखिम का बीमा किया गया है, अतः मात्र चालक का ही बीमा हो, ऐसी स्थिति व तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि आहत/दावेदार तत्समय भैरूराम के यहां नियोजित कर्मचारी था और नियोजन काल में यह दुर्घटना घटित हुई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं हो तब तक अधिनियम–1923 की धारा–30 के प्रावधानों के अनुसार अपील पोषणीय नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (Supra) के पैरा संख्या–9, 10, 11 तथा 12 सुसंगत है, जो निम्नानुसार है–

> **9.** At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was

> the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.
>
> **10.** The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.
> **11.** The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.
> **12.** In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

जहां तक घटना के संबंध में रोजनामचा रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराने का प्रश्न है, यह विषय भी तथ्यों के संबंध में और उस पर भी विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है।

वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय साक्ष्य के अभाव में हो अथवा महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर–अन्दाज किया गया हो अथवा जो तथ्य अभिलेख पर नहीं हो, उन पर विचार किया गया हो, ऐसी स्थिति

नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है।

चूंकि इस मामले में विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अतः यह अपील खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2017 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

स्थगन प्रार्थना पत्र भी उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है।

अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /32